चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 10.07.025 पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने हेतु सभी पेशनर्स को कहा गया साथ ही पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी दी गयी,पेंशनर्स के लिए कानूनी सहायता या शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सांझा की गयी। पेंशनर्स को अपनी समस्याएं और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया एवं उनके समस्याओं को नोट कर और उनके समाधान के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(4). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशीकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये ओटीपी लेकर,परिचित(रिश्तेदार) बनकर एवं डमी मैसेज भेजकर कुल 04 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 01 लाख 51 हजार रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध मे पीडित 04 व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के नाम पर कुल 01 लाख 51 हजार रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री निशीकान्त राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 04 पीडितों के कुल 01 लाख 51 हजार रुपये बरामद कराया गया।
नागरिकों के जीवन में वर्तमान समय में इंटरनेट, मेल एवं सोशल मीडिया ने बड़ी जगह बना ली है, ऐसे में दिनचर्या एवं ऑफिस के कार्यो में प्रतिदिन हमें इसका उपयोग करना होता है लेकिन कुछ जालसाजों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ही ईमेल अकाउंट हैक कर धनराशि मांगने की लगातार शिकायत मिल रही है इसी को लेकर चित्रकूट साइबर सेल ने नागरिकों हेतु एडवाइजरी जारी की है।
फ्रॉड के तरीका

वर्तमान में जालसाजों द्वारा साइबर अटैक कर आम नागरिकों के गूगल अकाउंट/जी-मेल आईडी हैक किये जा रहे हैं। हैकर द्वारा जी-मेल आईडी हैक करने के बाद पीड़ित का मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी चेंज कर और अन्य फर्जी मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी को अपडेट किया जा रहा है। ऐसा कर देने से पीड़ित अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। अकाउंट हैक हो जाने से पीड़ित को अपने मोबाइल हैंडसेट में सेव कॉन्टेक्ट्स दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि पीड़ित अपने जी-मेल अकाउंट का एक्सेस खो चुका होता है। जीमेल आईडी हैक हो जाने की पश्चात हैकर द्वारा पीड़ित के गूगल ड्राइव पर सेव फोटो, वीडियो कॉन्टेक्ट्स आदि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित के गूगल अकाउंट को अन्यत्र वेबसाइट पर रजिस्टर कर अपराध कार्य करने हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है।
यह सावधानी रखनी है

साइबर सेल प्रभारी चित्रकूट निरीक्षक श्री निशिकांत राय एवं उनकी टीम ने बताया कि अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए अनजान नंबरों से आए हुए कॉल पर कॉलर द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास ना करें, मोबाइल फोन में कोई भी संदिग्ध एप्लीकेशन या एपीके फाइल डाउनलोड ना करें व ही अपनी ओटीपी को अनजाने व्यक्ति से शेयर करे। ई-मेल टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के मैसेज में आयी नीले रंग की लिंक (यूआरएल) पर क्लिक

न करें समस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकाउंट (जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि) पर टू-स्टेप वेरीफिकेशन ऑप्शन हमेशा इनेबल रखें। अपने गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी कोट्स को किसी के साथ शेयर ना करें। गूगल पासवर्ड कभी भी अपना मोबाइल नंबर या अपनी जन्म दिनांक ना रखें पासवर्ड हमेशा अल्फान्यूमैरिक ही रखें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड/अपराध घटित होता हो जाता है तो सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर साइबर पर अपनी शिकायत रजिस्टर करें।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 जनपद चित्रकूट श्री मती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 10.07.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 920/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मैकूराम पुत्र भूरा निवासी बराछ थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।